न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—419/2019/223आर.टी.एक्ट (2019/00419)

1. गोपी लाल पुत्र सुगनचन्द आयु 62 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, तहसील नसीराबाद, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. मंदरूप पुत्र सुगनचन्द आयु 60 वर्ष
2. सुखपाल पुत्र सुगनचन्द आयु 50 वर्ष
3. पोखरमल पुत्र सुगनचन्द आयु 45 वर्ष
4. तीजी पत्नि सुगनचन्द आयु 80 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद, पुलिस थाना नसीराबाद सदर, जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय/प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.2018 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 109/2018 उनवान गोपीलाल बनाम मंदरूप व अन्य.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत,अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री एन.के.जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03.
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः—23.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 109/2018 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सहखातेदारी/पुश्तैनी भूमि वाके मौजा ग्राम देराठू पटवार क्षेत्र देराठू भू.अ.नि. देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में स्थित अवस्थित हैं जिसका

वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 400, 402 के मूल खातेदार तीजी बेवा सुगनचन्द एवं गोपीलाल, मंदरूप, सुखपाल, पोखरमल पिं. सुगनचन्द कौम जाट सा. देह खातेदार के रूप में वर्तमान राजस्व रैकार्ड में दर्ज है तथा सभी का बराबर बराबर 1/5 प्रत्येक का हक व हिस्सा निहित है जिसमें मंदरूप, सुखपाल, पोखरमल, तीजी (प्रतिवादी संख्या 1 से 4 है) तथा गोपीलाल वादी है जिसका 1/5 हिस्सा निहित है जो वादी मौके पर हाल खसरा नंबर 1244 रकबा 0.44 व 4006 रकबा 0.16 निहित है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की सह-खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है व अन्यत्र हस्तातंरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विधिवत विभाजन किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जावें। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 04 ने जवाब पेश किया गया। अभिभाषक वादी व प्रतिवादीगण ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर करना जाहिर करने पर, अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 25.10.20218 को सुनकर आदेशार्थ दिनांक 30.10.2018 को नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.08.2018 को वाद-पत्र में निर्णय व प्राथमिक डिक्री जारी की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.08.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

1. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने सर्वप्रथम प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि वादी के बंटवारे के वाद में उक्त भूमि का बंटवारा का संस्पष्ट हिस्से का उल्लेख होने पर भी अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिसकी जानकारी दिनांक 22.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली में आये विभाजन प्रस्ताव से हुई की नकल दिनांक 23.10.2019 को पेश कर प्राप्त कर अपीलार्थी द्वारा अपील न्यायालय में अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें हुई देरी को क्षमा किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मान्नीय न्याालय से निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील समयावधि में मानकर अपील प्रस्तुती में हुई विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील ग्रहण करने के आदेश पारित करें।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने तत्पश्चात अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावाकृत भूमि खाता संख्या 400, 402 में वादी के हिस्से की भूमि हाल खसरा नम्बर 1244 व 4006 बांहमी बंटवारे के तहत वादी ने चारदीवारी का निमार्ण किया गया एवं दुकानो का निर्माण किया के बावत् वादी के हिस्से का आदेश पारित नहीं कर सम्पूर्ण खाते में हक व हिस्से की बंटवारे की प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय मौका एवं रिकार्ड के विपरीत पारित की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.2019 पारित की गयी है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत तथा न्याय नियम सिद्धान्त के विपरीत पारित किया है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट

स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय दिनांक 30.10.2018 को निरस्त किया जाकर वादी का वाद हाल खसरा नम्बर 1244 व 4006 का स्वीकार किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि ग्राम देराठू की आराजी मुतनाजा खाता संख्या 400/390, 945 कुल किता–6, रकबा 1.51 व खाता संख्या 402/355 किता 9 रकबा 2.47 है0 वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी की है। उक्त आराजी जमाबंदी सम्वत 2073–76 में खाता संख्या 464/402 कि–9 रकबा 2.47 व खाता संख्या 457/400 किता6 रकबा 1.51 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1से 04 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा होना स्वीकार है किन्तु खाता संख्या 464/402 किता 9 रकबा 2.47 है0 की आराजी पूर्व में वादी व प्रतिवादी संख्या 01से 04 के साथ कमला, विमला, सीता पुत्रिया सुगनचन्द के नाम भी सहखातेदारी मे दर्ज थी। जिसमें प्रत्येक सह खातेदार का 1/8 हिस्सा निहित था। उक्त आराजी में कमला, विमला, सीता ने अपना हिस्सा जरिये पंजीकृत हकत्याग पत्र के प्रतिवादी संख्या 01 के नाम हक त्याग कर दिया है एवं नामान्तकरण संख्या 1293 दिनांक 20.01.2016 से उक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज हो गया है। इस प्रकार खाता संख्या 402/355 किा 9 रकबा 2.47 है. पर प्रतिवादी संख्या 3 का 1/2 हिस्सा व वादी व प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 04 का 1/2 हिस्सा निहित है। खसरा नम्बर 1244रकबा 0.44 व खसरा नम्बर 4006 रकबा 0.16 है. पर वादी का कब्जा नहीं होकर वादी व प्रतिवागण का संयुक्त कब्जा है। उक्त आराजी व अन्य समस्त आराजी पर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का संयुक्त कब्जा काश्त है व आराजी मुतनाजा का आज तक विभाजन नही हुआ है। वादी द्वारा प्रकरण में कोई साक्ष्य व ऐसे दस्तावेज पेश नहीं किये है जिससे सिद्ध होता हो कि उक्त खसरा नम्बर वादी के हिस्से में आये हों। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी सम्वत 2073–2076 खाता संख्या 464/402 किता 9 रकबा 2.47 व 457/400 किता 6 रकबा 1.51 है. की आराजी पर वादी का वाद स्वीकार किया गया है तथा तहसीलदार, नसीराबाद उक्त आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य हाल जमाबंदी में दर्ज नाम व हिस्सेनुसार विधिवत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये है जो विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही है। अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई तथा उनके प्रार्थना–पत्र में यह कथन अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.10.2019 को प्राप्त होने पर निर्णय की जानकारी हुई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अपीलांट/वादी का ही था इसलिए प्रार्थना–पत्र में अंकित कारण संतोषजनक नहीं होने से अपील मियाद बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलाटस मियाद बिन्दू एवं मेरिट पर खारिज फरमायी जावें।

6. सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का अभिभाषक रेस्पोडेन्टस के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर खण्डन नहीं किया गया है। अपीलांट के प्रार्थना–पत्र में देरी के कारण अंकित किये गये है जो संतोषप्रद होने

के कारण अपील में हुयी देरी को कण्डोन करने हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.2018 पारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 द्वारा दिनांक 25.10.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। माननीय मण्डल ने अपने परिपत्र एवं अनेको निर्णय में प्रतिपादित किया है कि जहॉ जवाब दावा प्रस्तुत किया गया वहॉ तनकीयात कायम की जायेगी परन्तु उनके द्वारा यह अंकित कर दिया गया है कि अभिभाषक उभयपक्ष ने प्रकरण में साक्ष्य पेश नहीं कर प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नही की गई तथा वादी के अनुतोष पर विचारण नहीं किया गया, जो विधि सम्मत नही है। प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर, वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण का तनकीवार निस्तारण करना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.10.2018 उपरोक्त कारणों से निरस्त योग्य पायी जाती है।

8. अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 04/2018 में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2018 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तनकीयात कायम कर सभी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते वाद का तनकीयात का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर